

फर्द अहकाम

( नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

लाडु बनाम श्री शंकर (पत्नी)

नुकदना प्रा. पत्र 111-128 no. 107 तारीख 2021

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए

8-21

बाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर दिखा जाकर विपक्षीय को सम्मन नोटिस जारी किये जायें। पत्रावली दिनांक 7-9-21 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर माण्डल

7-42

उपखण्ड अधिकारी राजकीय कार्य से अहतर है। सम्मन जारी किया जा रहा है।  
मत: पत्रावली दिनांक 28-9-21 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

122

पगावली प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 केमप ग्राम सुरस में पेश हुई अपाथीग के सम्मन वास तामिल होकर प्राप्त हुए एवं तहसीलदार मांझ पखार हल्का पखारी द्वारा मांझ निपटि प्राप्त हुई जिसे शां पठ किया गया। प्रार्थ का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृष्ठ से लिखा जाकर शां पठ किया गया। पत्रावली के सल सुमार होकर नम्बर से कम हो।



डॉ. पूजा सक्सेना  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल ( भीलवाड़ा )

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

दस्तावेज संख्या :- 107/21 प्र.पत्र

प्रशासन पाँचों के संग अधिनियम 2021

लाडु सा. राजा माली निवासी - मालीरगेडा तहसील सुवास

--प्राथी

खनाम

संकर सा. मांगे माली निवासी - मालीरगेडा तहसील-मांडल (पैरा)

(सहोक्ति/पु) का (सक)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 12-11-21

प्राथी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर

किया कि ग्राम.....मालीरगेडा.....पटवार हल्का.....सुवास.....तहसील मांडल/में उसके

संबुक्त खातों की आराजी नं.....331, 332.....कुल किता .....02

1-2024 हेक्टेयर.....स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी

खाते के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है । जिसमें प्राथी अपने खाते

खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक.....3.8.21.....को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को

कार्य से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्राथी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का

री है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेश

था न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है । अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक

के आधार पर आवेदन पत्र प्राथी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्राथी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....मालीरगेडा

हल्का.....सुवास.....तहसील मांडल में स्थित आराजी नं.....331, 332

.....कुल किता .....02.....रकबा.....1-2024.....हेक्टेयर.....

द्वारा तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है ।

किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक.....मेजा.....को .....500/-

कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । कमिश्नर फीस प्राथीगण मौके पर जमा करावें ।

फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील

आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें । फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे ।

उपखण्ड अधिकारी

मांडल, जिला-भीलवाड़ा

तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्राथी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगद्दी की 2021

लेख रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें ।

उपखण्ड अधिकारी

मांडल, जिला-भीलवाड़ा

प्रशासन पाँचों के संग अधिनियम 2021